समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.), कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 17/2021

इन्डस टावर लि., रेजीडेंस आफ टावर -1, द्वितीय फ्लोर, ओकाया सेंटर, ब्लाक बी, सेक्टर – 62, नोयडा (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.) छिबरामऊ, जिला - कन्नौज ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., रेजीडेंस आफ टावर -1, द्वितीय फ्लोर, ओकाया सेंटर, ब्लाक बी, सेक्टर – 62, नोयडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 11.06.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, जिला कन्नैज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781705718015 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

आगे जारी है ।

इण्डस टावर लि. बहादुरपुर छिबरामऊ संयोजन सं. 781705718015 स्वीकृत भार 7.50 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 9,35,000/- था।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 3/1 ता 3/6) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन के सम्बन्ध में बताना है कि परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण परिवादी एक कम्पनी है सिद्ध नहीं है। परिवाद पत्र प्रस्तुत करने वाले श्री मेहम्मद कौसर जहां के द्वारा परिवादी कम्पनी की तरफ से परिवाद को अपने हस्ताक्षर से दाखिल करने से सम्बन्धित कम्पनी का कोई रिजोल्यूशन भी परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके कारण मात्र इन आधारों पर ही परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विवादित नहीं है। धारा 4 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन बहादुरपुर छिबरामऊ साईट पर 7.50 किलोवाट का एल.एम.वी. - 20 के तहत लिया था। जिसका विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705718015 है। किन्तु मीटर उपलब्ध न होने के कारण उसके परिसर पर मीटर नहीं लग सका था। जिसके कारण बिल में मीटर नम्बर के स्थान पर DR 1111 लिख कर आ रहा था। तथा परिवादी के द्वारा उस विद्युत कनेक्शन पर जारी बिलों की धनराशि को समय-समय पर जमा किया जाता रहा था। विद्युत बिल की धनराशि बकाया होने पर कथित कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में परिवादी के द्वारा डिस्कनेक्शन एवं रिकनेक्शन फीस रू.1,000/- दिनांक 21.09.2019 में जमा की थी। परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705718015 स्थित बहादुरपुर छिबरामऊ साईट को डिस्मेंटल कर समाप्त कर दिया गया है। तथा विद्युत की लाईन को गायब कर दिया गया है। जिससे वह बकाया विद्युत धनराशि के भुगतान से बच सके। यहां ये बताना आवश्यक है कि उक्त कनेक्शन दिनांक 17.08.2007 में वि.वि. खण्ड कन्नौज से जारी हुआ था। जिसके जारी हुये करीब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाली है। धारा 5 के कथन जिस प्रकार वर्णित हैं पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन खाता सं. 781705718015 का प्रयोग निरन्तर किया जाता रहा। किन्तु बकाया धनराशि बढ़ जाने के कारण उसके द्वारा उक्त कनेक्शन को फर्जी होना कहा जा रहा है जो कि पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। धारा 6 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। विपक्षीगण के द्वारा परिवादी को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के उपरान्त ही विद्युत बिल जारी किये गये। तथा परिवादी के द्वारा समय पर बिल धनराशियों को जमा किया गया। किन्तु कुछ समय से बिल धनराशि को जमा न करने कारण परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि रू. 9,35,000/- हो गयी। धारा 7 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा उत्तरित धारा के कथन मात्र अपने विद्युत बिल बकाया धनराशि के भुगतान से बचने के लिये किये जा रहे है। परिवादी Law of Estoppel के सिद्धान्त से बाधित है तथा वह इस विद्युत कनेक्शन पर बकाया बिल धनराशि रू. 9,35,000/- का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। धारा 8 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को दोनों स्थलों के बिल अलग-अलग जारी किये गये। किन्तु परिवादी के द्वारा बहादुरपुर के कनेक्शन संख्या

आगे जारी है।

781705718015 का बिल जमा किया गया। मौजमपुर गुरुसहायगंज के कनेक्शन संख्या 781726609863 के बिल का भुगतान नहीं किया। यहां ये बताना भी आवश्यक है कि दोनों स्थल अलग-अलग तहसील के है। जिनके मध्य की दूरी करीब 50 किमी. की है। परिवादी का ये कहना कि वह बहादुरपुर की साईट को मौजमपुर की साईट मानकर विद्युत बिल जमा कर रहा था पूर्णतया गलत है। मात्र अपने विद्युत बिल की बकाया धनराशि के भुगतान के उत्तर दायित्व से बचने हेतु उत्तरित धारा के कथन किये जा रहें। जो कि विधिनुसार पोषणीय नहीं है। विद्युत बकाया धनराशि बतौर भूराजस्व वसूले जाने योग्य है जिससे स्पष्ट है कि यदि परिवादी के द्वारा विद्युत बिल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो परिवादी के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूलने हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी कर वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर कन्नौज को प्रेषित करने के लिए विपक्षी संख्या 1 को मजबूर होना पड़ेगा। धारा 9 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल सही धनराशि के जारी किये गये हैं किन्तु परिवादी के द्वारा बिल धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। परिवादी को जारी बिल यदि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते थे तो उनके संशोधन कराने के लिए परिवादी के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया होता। किन्तु परिवादी को बिल सही प्राप्त होने के कारण ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। धारा 10 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी ने बहादुरपुर स्थित साईट के विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705718015 से 7.50 किलेवाट का एल.एम.वी. -20 के तहत लिया था। तथा उस पर समय-समय पर जारी बिलों का भुगतान भी किया गया। तथा विद्युत कनेक्शन बकाया धनराशि पर विच्छेदित होने पर डिसकनेक्शन एवं रिकनेक्शन के मद में रु. 1,000/- दिनांक 21.09.2019 को जमा भी कराया व विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कराया। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा बहादुरपुर के साईट के लिये विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत उपभोग किया जाता रहा। जिसके कारण परिवादी इस कनेक्शन के खाते पर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, जिला कन्नौज के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन बहादुरपुर छिबरामऊ साईट पर 7.50 किलोवाट का एल.एम.वी. - 20 के तहत लिया था। जिसका विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705718015 है। किन्तु मीटर उपलब्ध न होने के कारण उसके परिसर पर मीटर नहीं लग सका था। जिसके कारण बिल में मीटर नम्बर के स्थान पर DR 1111 लिख कर आ रहा था। तथा परिवादी के द्वारा उस विद्युत कनेक्शन पर जारी बिलों की धनराशि को समय-समय पर जमा किया जाता रहा था। विद्युत बिल की धनराशि बकाया होने पर कथित कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में परिवादी के द्वारा डिस्कनेक्शन एवं रिकनेक्शन फीस रू.1,000/- दिनांक 21.09.2019 में जमा

आगे जारी है।

की थी । परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705718015 स्थित बहादुरपुर छिबरामऊ साईट को डिस्मेंटल कर समाप्त कर दिया गया है । तथा विद्युत की लाईन को गायब कर दिया गया है । उक्त कनेक्शन दिनांक 17.08.2007 में वि.वि. खण्ड कन्नौज से जारी हुआ था । परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन खाता सं. 781705718015 का प्रयोग निरन्तर किया जाता रहा । विपक्षीगण के द्वारा परिवादी को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के उपरान्त ही विद्युत बिल जारी किये गये । तथा परिवादी के द्वारा समय पर बिल धनराशियों को जमा किया गया । परिवादी Law of Estoppel के सिद्धान्त से बाधित है तथा वह इस विद्युत कनेक्शन पर बकाया बिल धनराशि रू. 9,35,000/- का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है । परिवादी के द्वारा बहादुरपुर के कनेक्शन संख्या 781705718015 का बिल जमा किया गया । मौजमपुर गुरुसहायगंज के कनेक्शन संख्या 781726609863 के बिल का भुगतान नहीं किया । यहां ये बताना भी आवश्यक है कि दोनों स्थल अलग-अलग तहसील के है । जिनके मध्य की दूरी करीब 50 किमी. की है । परिवादी का ये कहना कि वह बहादुरपुर की साईट को मौजमपुर की साईट मानकर विद्युत बिल जमा कर रहा था पूर्णतया गलत है । परिवादी के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूलने हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी कर वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर कन्नौज को प्रेषित करने के लिए विपक्षी संख्या 1 को मजबूर होना पड़ेगा । परिवादी को बिल सही धनराशि के जारी किये गये हैं किन्तु परिवादी के द्वारा बिल धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है । परिवादी को जारी बिल यदि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते थे तो उनके संशोधन कराने के लिए परिवादी के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया होता । किन्तु परिवादी को बिल सही प्राप्त होने के कारण ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । परिवादी ने बहादुरपुर स्थित साईट के विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705718015 से 7.50 किलेवाट का एल.एम.वी. -20 के तहत लिया था । तथा उस पर समय-समय पर जारी बिलों का भुगतान भी किया गया । तथा विद्युत कनेक्शन बकाया धनराशि पर विच्छेदित होने पर डिसकनेक्शन एवं रिकनेक्शन के मद में रु. 1,000/- दिनांक 21.09.2019 को जमा भी कराया व विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कराया । इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा बहादुरपुर के साईट के लिये विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत उपभोग किया जाता रहा ।

विपक्षी द्वारा उपभोक्ता के पी. डी. फाइनल बिल पत्रांक सं. 11246 एवं पत्रांक सं. 11248/वि.वि.खा.(छिब.) दिनांक 22.12.2022 (का. सं. 8/1 ता 8/5) दिनांक 24.12.2022 को दाखिल किया गया है । इसकी सूचना E-Mail के माध्यम से फोरम द्वारा भी दिनांक 24.12.2022 को परिवादी के अधिवक्ता को E-Mail के द्वारा अवगत कराया गया था ।

विपक्षी द्वारा परिवादी के अधिकृत अधिवक्ता को संशोधित पी.डी. फाईनल बिल व संशोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.12.2022 को E-Mail के माध्यम से परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करा दिया गया था । पिछली नियत तिथि दिनांक 30.12.2022 को न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी गयी । आज नियत तिथि 07.01.2023 को परिवादी के अधिवक्ता उपस्थिति नहीं हैं । इसलिये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यो के आधार पर परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है ।

आगे जारी है ।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद निस्तारित किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को संशोधित पी.डी. फाईनल बिल की मूल प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

07/1/23
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 07 /01/2023

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

07/1/23
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 07 /01/2023

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति